



सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,

3090 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, मिश्रातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान
समस्त जनपद ।

पत्रांक: क0अनु0/2094 /2010-11

दिनांक 17 जुलाई, 2010

विषय: विद्यालय सांख्यिकी (डायस) की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में।

महोदय,

कृपया विद्यालय सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक: क0अनु0/1454/2010-11 दिनांक 15-6-2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 2010-11 के विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों की जांच कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त संबंध में डायस डाटा की गुणवत्ता सुधारने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी कतिपय निर्देश दिये गये हैं।

अतः डायस डाटा 2010-11 के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनिवार्यतः ध्यान दिया जाये तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्र.सं.	गतिविधि	समय सारिणी
1.	EMIS डाटा के प्रशिक्षण के दौरान समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत EMIS डाटा प्रपत्र भरने का विज्ञापन दिया जाये तथा उसकी छायाप्रति फाइल तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भी दी जाये।	26 जुलाई से 14 अगस्त 10
2.	EMIS डाटा के प्रशिक्षण एवं जनवाचन की बैठकों के फोटोग्राफ भी कराये जाये तथा फोटो राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।	26 जुलाई से 25 अगस्त 10
3.	जनपद के समस्त विद्यालयों में "विद्यालय रिपोर्ट कार्ड" की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	02-30 अगस्त 10
4.	सोशल आडिट की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में डायस डाटा के 15-20 मुख्य बिंदुओं (जैसे- कक्षावार एवं लिंगवार नामांकन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन, लिंगवार अध्यापकों की संख्या, पी0टी0आर0, एस0सी0आर0, कक्षा कक्षों की संख्या, पेयजल की व्यवस्था, शौचालयों की संख्या, बाउन्ड्रीवाल की उपलब्धता, विद्युतीकरण की व्यवस्था, खेल के मैदान की उपलब्धता, किचन शेड की उपलब्धता, छात्रों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता, अध्यापकों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता, रैम्प की उपलब्धता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपकरणों का विवरण,	01-30 सितम्बर 10

ओवरहेड टैंक की उपलब्धता, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, यूनिफार्म का वितरण, स्कूल बैग का वितरण इत्यादि) की रिपोर्ट तैयार की जाये जिसे ग्राम शिक्षा समिति /अभिभावक अध्यापक संघ को उपलब्ध कराया जाये ताकि उनका फीडबैक प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त इन बिंदुओं पर वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की जाये तथा तैयार सूचना का पोस्टर (चार्ट पेपर पर हाथ से निर्मित) तैयार कर विद्यालय के सूचना-पट्ट पर तथा ब्लाक/ न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के सूचना- पट्ट पर चस्पा करायें।

5. ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में जिला सूचना प्रबन्धन प्रणाली (डायस) के महत्व व उसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिये सूचित किया जाये। प्रधानाध्यापकों द्वारा अभिभावकों से बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिये सतत् रूप से प्रयासरत रहने का अनुरोध किया जाये। विशेषकर जिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम है उनके अभिभावकों को नियमित रूप से छात्र/छात्राओं को विद्यालय भेजने का अनुरोध किया जाये। 01-30 सितम्बर10
6. विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों की 100% सैम्पल चेकिंग न्याय पंचायत संसाधन केंद्र समन्वयकों द्वारा की जायें। 08-11 अक्टूबर10
7. विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों की 25% सैम्पल चेकिंग ब्लाक संसाधन केंद्र के समन्वयकों द्वारा की जायें। 12-15 अक्टूबर10

उक्त के अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा 2009-10 में विद्यालयों के 5% सैम्पल चेकिंग के संबंध में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट "Major Findings & Observations" जनपदों को ई-मेल की गयी हैं। अतः वर्ष 2010-11 में डायस डाटा एकत्रीकरण, इन्ट्री एवं संकलन के दौरान इन बिन्दुओं पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए निर्धारित उक्त समय सारिणी के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक